# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 126 / 25
जीसीएमएस नं. 2025 / 360

दायर दिनांकः 04.08.2025

**उनवान**

1 हरीराम 2 नत्थी पुत्रान परभाती जातियान माली नि. इटामडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादीगण

**बनाम**

1 घीसा 2 उदयराम पुत्रान भगवत 3 गोविन्द 4 राजाराम पुत्रान कन्हैया जातियान गुर्जर नि. इटामडा तह. भुसावर 5 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री सुरेन्द्र चौधरी ––वादीगण

## निर्णय दिनांक 24 / 04 / 2026

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1338 रकवा 0.4500 हेक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 1041 रकवा 2 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम नगला सिरसियान तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे स्थित है। जिसमे वादीगण वाहिस्सा बराबर 2/7 हिस्से के काविज काश्तकार एवं खातेदार है। तथा मौके पर वादीगण अपने निहित हिस्से की आराजी पर काविजं रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते हुए राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है।

हाल आराजी खसरा नम्बर 1338 रकवा 0.4500 हेक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 1041 रकवा 2 बीघा 16 विस्वा मे से वादीगण ने 2/7 हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 02.11.1977 को प्रतिवादीगण के पिता/बाबा स्वर्गीय भगवत पुत्र जोरावर जाति गुर्जर निवासी इटामडा से वऐवज 800/– रूपये मे कय किया था। और आराजी का कब्जा वादीगण ने उसी समय मौके पर प्राप्त करते हुए शान्ति पूर्वक काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन वादीगण ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित व्यक्ति होने के कारण विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज नही करा सके। राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण के पिता/बाबा स्वर्गीय भगवत के नाम ही दर्ज रही थी। भगवत की मृत्यु के बाद आराजी की खातेदारी विरासत के आधार पर वर्तमान मे प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई। जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून के है। वर्तमान मे आराजी की खातेदारी का इन्द्राज प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण के दिल मे बदयान्ती आ गई। एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 ने छल कपट करते हुये फर्जी तरी केसे वादीगण को सदोष हानि पहुँचाने के इरादे से यह जानकारी के होते हुये की कि "उक्त आराजी उनके पिता/बाबा द्वारा अपने जीवनकाल मे विक्रय कर दी गई है।" उक्त आराजी पर बैंक से लौन ले लिया। और अब वादीगण को उनकी खरीदशुदा आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण को वादीगण की खरीदशुदा उक्त आराजी मे कोई भी अधिकार कानूनन प्राप्त नही होते है।

दिनांक 15.07.2025 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपने नाम कराने को कहा, तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को खुले आम धमकी दी है कि उक्त आराजी की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

हमारे नाम दर्ज है, और अब हम तुमसे इस आराजी का कब्जा छीनकर तुम्हे आराजी से बेदखल कर देगे, तथा आराजी को दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए आराजी से तुम्हे हमेशा के लिए वंचित कर देगे। तुम्हे अब इस आराजी पर किसी तरह से काश्त भी नही करने देगे। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 5 से उक्त रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर वादीगण के हक मे नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन किया, तो प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा भी नामान्तरकरण दर्ज करने से साफ इंकार कर दिया। अतः वादीगण वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 4 के नाम हो रहे गलत खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन कराने व अपने निहित हिस्से की खातेदारी की घोषणा करा पाने के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नंबर 1338 रकबा 0.45 हैक्टे. साबिक खसरा नंबर 1041 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम नंगला सिरसियान तह. भुसावर में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को वाहिस्सा बराबर 2/7 हिस्से के खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 बाद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप शपथ पत्र नत्थी, जगदीश द्वारा पेश किये एवं उनके बयान लेखबद्ध कराये गये।

वादीगण की ओर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विक्रय पत्र प्रदर्श–1ए, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत 2075–78 प्रदर्श–3 प्रस्तुत किये गये।

हमने बहस पर वादीगण अधिवक्ता को सुना गया। हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1338 रकबा 0.45 हैक्टे. साबिक खसरा नंबर 1041 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम नंगला सिरसियान तह. भुसावर में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को वाहिस्सा बराबर 2/7 हिस्से के खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/04/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

# मूलवाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 126 / 25 दायर दिनांक: 04.08.2025

जीसीएमएस नं. 2025 / 360

**उनवान**

1 हरीराम 2 नत्थी पुत्रान परभाती जातियान माली नि. इटामडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादीगण

**बनाम**

1 घीसा 2 उदयराम पुत्रान भगवत 3 गोविन्द 4 राजाराम पुत्रान कन्हैया जातियान गुर्जर नि. इटामडा तह. भुसावर 5 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री सुरेन्द्र चौधरी ––वादीगण

## डिक्री दिनांक २५/ 04 / 2026

तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1338 रकबा 0.45 हैक्टे. साबिक खसरा नंबर 1041 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम नंगला सिरसियान तह. भुसावर में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को वाहिस्सा बराबर 2/7 हिस्से के खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०